समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही [illegible]
किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं [illegible]
तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी

[illegible] 2527532
[illegible]
[illegible]–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा./तीन (10)/2018/731

दिनांक :–16 OCT 2018

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04–10–2018 के कार्य विवरण ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 04–10–2018 के कार्य विवरण की एक प्रति आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

संलग्न : यथोपरि

Aparna
कुलसचिव

aruna/mi/covering lette-15

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक गुरूवार दिनांक 04.10.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया	सदस्य
3.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
4	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
5.	श्री आलोक डावर	सदस्य
6.	डॉ. के.एन. चतुर्वेदी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
7.	श्री देवधर दरवाई (प्रतिनिधि, वित्त विभाग, म.प्र. शासन)	सदस्य
8.	डॉ. विजय बाबू गुप्ता	सदस्य
9.	डॉ. के. हजेला	सदस्य
10.	डॉ. ए.व्ही. बजाज	सदस्य
11.	डॉ. अशोक कुमार शर्मा	सदस्य
12.	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
13.	श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	डॉ. आर.के. माथुर	सदस्य
2.	डॉ.(श्रीमती) रागिनी मक्खर	सदस्य
3.	डॉ. रवि वर्मा	सदस्य
4.	डॉ. एच.एस. अनिजवाल	सदस्य
5.	डॉ. सुमित्रा वास्केल	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा अवगत कराया गया कि –

1 डॉ. जयंत सोनवलकर, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला एवं आचार्य, प्रबंध अध्ययन संस्थान् को मध्यप्रदेश (भोज) मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त किया गया है।

कार्य–परिषद् द्वारा डॉ. जयंत सोनवलकर, को बधाई दी गई एवं पुष्प–गुच्छ से अभिनंदन किया गया।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.1: **कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 30.8.2018 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक**

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 30.8.2018 के कार्य–विवरण का अवलोकन गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.30.8.2018 के कार्य–विवरण सम्पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की जाए :

विषय क्र.35 'निर्णय लिया कि मूल्यांकन की व्यवस्था पर पुनर्विचार हेतु....' के स्थान पर 'निर्णय लिया कि परीक्षाओं की उत्तर–पुस्तिकाओं के मूल्य की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु....' पढ़ा जाए।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग एवं केन्द्रीय मूल्यांकन के

विषय क्र.2: **कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 30.8.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्य का पालन प्रतिवेदन बाबत्।**

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 30.8.2018 में लिए गए निर्णयों अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाही: प्रशासन विभ

विषय क्र.3: **विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दि.12.9.2018 के कार्य विवरणों पर विचार**

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दि.12.9.2018 के कार्य–विवरणों अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बै दि.12.9.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाही: शैक्षणिक विभ

विषय क्र.4: **वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.9.2018 के कार्य–विवरणों पर विचार।**

वित्त समिति की बैठक दिनांक 26.9.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोक उपरांत निर्णय लिया कि वित्त समिति की दिनांक 26.9.2018 की अनुशंसाएं नि सुझाव के साथ मान्य की जाएं :

(1) वित्त समिति के विषय क्र.1 को मान्य किया गया। विषय के संबंध में यह निर्णय लिया कि निविदा में सप्लायर्स से यह भी जानकारी संलग्न कराई ज कि पूर्व में किस–किस फर्म को उक्त सामग्री सप्लाई की गई है।

(2) डॉ. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न विभा हेतु उपकरण क्रय किए जा रहे हैं, अतः विश्वविद्यालय के सभी विभागों उपयोग के लिए एक सेन्ट्रल फेसीलिटी सेंटर स्थापित किया जाए, जिस आधुनिक शोध उपकरण रखे जाएं और जिसका उपयोग सभी अध्ययनशाला के शिक्षक एवं शोधार्थी कर सकेंगे। इस हेतु आवश्यक भवन, तकनीशिय शिक्षकों एवं उपकरणों की व्यवस्था चरणबद्ध रूप से की जाए।

(3) वित्त समिति के विषय क्र.8 को मान्य किया गया एवं इस संबंध में सुझाव दि गया कि ई–परीक्षा आयोजित किए जाने के प्रयास किए जाएं।

(कार्यवाही: वित्त विभाग)

विषय क्र.5: **इनक्यूबेशन केन्द्र के नामांतरण विषयक।**

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के आई.ई.टी. में स्थापित इनक्यूबेशन केन्द्र का नामांतरण "अटल नवाचार, उद्भवन (इनक्यूबेशन) एवं उद्यमिता केन्द्र (**Atal Center for Innovation, Incubation and Entrepreneuship (ACIIE)**" किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

परेश अत्री - 9977141277 ~~9685256775~~

(कार्यवाहीः आई.ई.टी)

विषय क्र.6: **पीएच.डी एवं डी.लिट् उपाधि प्रदान करने बाबत् कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय लिया कि शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसानुसार शोधार्थियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विषय क्र.7: **डॉ. प्रीति सक्सेना, रीडर, कम्प्यूटर साइंस एवं आई.टी. अध्ययनशाला के संतान पालन अवकश की स्वीकृति विषयक।**

निर्णय लिया कि डॉ. प्रीति सक्सेना, रीडर, कम्प्यूटर साइंस एवं आई.टी. अध्ययनशाला को दिनांक 27.8.2018 से दिनांक 26.5.2019 तक (कुल 273 दिन) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग) ✓

विषय क्र.8: **श्री अशोक सेंगर की परामर्शी के पद पर नियुक्ति के संबंध में।**

निर्णय लिया कि चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अशोक सेंगर, सेवा–निवृत्त अधिकारी, म.प्र. शासन, वित्त विभाग को विश्वविद्यालय की स्व–वित्त शाखा में परामर्शी (तृतीय श्रेणी) के पद पर एक वर्ष हेतु नियुक्ति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग) ✓

विषय क्र.9: **अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि बाबत्।**

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय में **Statutory Bodies (UGC/AICTE/NCTE etc.)** के अनुसार पात्रताधारी तथा पीएच.डी धारक एवं औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले विजिटिंग फेकल्टी को रू.500/– के स्थान पर रू.800/– प्रतिघंटा एवं अन्य को रू.250/– के स्थान पर रू.400/–प्रतिघंटा मानदेय अधिकतम सीमा रू.25,000/– प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः समस्त अध्ययनशालाएं)

विषय क्र.10: **अध्यादेश 4 (सी) के प्रावधान अनुसार विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों के वेतन निर्धारण बाबत्।**

बैठक में प्रकरण के संबंध में चर्चा की गई। विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकीय पदों पर संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्राप्त होने पर चयन प्रकिया पूर्ण कर शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी।

निर्णय लिया कि नियुक्त होने वाले संविदा शिक्षकों का वेतन निर्धारण अध्यादेश–4 (सी) में निहित प्रावधान अनुसार एवं कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 3.8.2018 के विषय क्र.9 में लिए निर्णय के अनुसार किया जाएगा।

यह भी निर्णय लिया कि यू.जी.सी./म.प्र. शासन द्वारा समय–समय पर संशोधित रोस्टर नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:11: विश्वविद्यालय के परिसरों में स्थित भवनों की छतों पर सौर उर्जा संयंत्र लगाने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के परिसरों में स्थित भवनों की छतों पर सौर उर्जा संयंत्र लगाने हेतु मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा म.प्र.उर्जा विकास निर्गम से **RESCO** परियोजना के अंतर्गत दिनांक 29.9.2018 को भोपाल में हुए करार को अंगीकृत किया गया। साथ ही प्रकरण में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा की गई।

9406623754

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग/चीफ वार्डन)

विषय क्र.:12: पुराने कम्प्यूटर्स शासकीय/निजी स्कलों में निःशुल्क प्रदान करने बाबत्।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 30.8.2018 में निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में पुराने कम्प्यूटर्स दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र के अंतर्गत चलाएं जा रहे पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों से सुधरवाने के पश्चात् शासकीय/निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रदान करने हेतु पात्रता निर्धारण हेतु डॉ.माया इंगले, निदेशक, दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की अध्यक्षता में समिति, जिसमें डॉ.वृंदा टोकेकर, विभागाध्यक्ष, आई.टी. सेंटर, डॉ. एस. तनवानी, विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर विज्ञान एवं आई.टी. अध्ययनशाला, डॉ. प्रीति सिंह, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य अध्ययनशाला, डॉ. भारती जोशी, प्रभारी निदेशक, आजीवन शिक्षण केन्द्र तथा श्री दिलीप वर्मा, वित्त नियंत्रक हैं,, का गठन किया गया है।

निर्णय लिया कि उक्त समिति के गठन की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.:13: 16 मई, 2007 के पश्चात् नियुक्त दे.वे.भो. कर्मचारियों को स्थायीकर्मीयों को विनियमित करने की योजना विषयक।

निर्णय लिया कि दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात् नियुक्त दे.वे.भो कर्मचारियों के नाम एवं उनके विवरण के साथ प्रकरण आगामी बैठक में तथ्यों सहित प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:14: वैष्णव इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन।

निर्णय लिया कि वैष्णव इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक दि. 23.7.2018 में अनुशंसित डॉ. जार्ज थामस की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क.:15: <u>विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन।</u>

निर्णय लिया कि विशिष्ट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक दि. 3.3.2018 में अनुशंसित डॉ. एस.एम.अनस इकबाल की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क.:16: <u>स्व–वित्तीय संस्थानों/ विभागों/ पाठ्यक्रमों में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति एवं संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु नियम एवं सेवा शर्तों पर विचार विषयक।</u>

स्व–वित्तीय संस्थानों/ विभागों/ पाठ्यक्रमों में स्वीकृत पदों पर नवीन नियुक्ति एवं संविदा पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की नियमित नियुक्ति हेतु नियम एवं सेवा शर्तें परिनियम–39 एवं राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नीति–निर्देश, पत्र क्र.सी–5–2/2018/1/3 दि.5.6.2018 के अनुसार रेग्यूलेशन बनाने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा डॉ. विजय बाबू गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा अनुशंसित विनियमन (**Regulation**) अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय लिया कि उपरोक्त समिति द्वारा अनुशंसित विनियमन (**Regulation**) मान्य किया गया चूंकि यह विनियमन सीधे कार्य–परिषद् में प्रस्तुत हुआ है, अतः शासन/विश्वविद्यालय के प्रचलित नियमों एवं उपरोक्त विनियमन के नियम का परीक्षण स्थापना शाखा, वित्त शाखा द्वारा किया जाकर यदि आवश्यक हो, तो संशोधन आगामी बैठक में प्रस्तावित किए जाएं।

यह भी निर्णय लिया कि वर्ष 2001 के पूर्व के नियुक्त संविदा कर्मचारियों, जिनकी तीन या अधिक संतानें हैं, की नियमित पदों पर परिनियम क.39 के अंतर्गत नियुक्ति हेतु राज्य शासन को पत्र द्वारा निवेदन किया जाए कि ऐसे कर्मचारियों को तीन संतानों की शर्तो से छूट दी जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:17: <u>आगामी परीक्षाओं के संचालन हेतु परीक्षकों के मानदेय में वृद्धि बाबत्।</u>

निर्णय लिया किया कि समन्वय समिति की 95वीं बैठक दिनांक 6.9.2018 में विषय क्र.5 में पारित अध्यादेश क्र.5 **Conduct of Examination (Refer Clause VI of section 37)** को अंगीकृत किया जाए।

(कार्यवाहीः परीक्षा विभाग)

विषय क.:18: <u>डॉ.गणेश कावड़िया, सेवा–निवृत्त प्रोफेसर, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के पुनर्नियुक्ति विषयक।</u>

डॉ. गणेश कावड़िया, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला माह अक्टूबर 2017 में सेवा–निवृत्त होकर वर्तमान में राजस्थान केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में आचार्य पद पर कार्यरत हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के डाटा विज्ञान एवं फोरकास्टिंग अध्ययनशाला में केवल दो शिक्षक कार्यरत हैं, जब कि 5 अंतर विषयक पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। विभाग में शिक्षकों की कमी के कारण शोध एवं शिक्षण का कार्य प्रभावित हो रहा है। डॉ. कावड़िया की शोध एवं शिक्षण में विशेषज्ञता विभाग के लिए उपयोगी है। इस संबंध में माननीय कुलपतिजी द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। समिति की अनुशंसाएं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय लिया कि गठित समिति की अनुशंसाएं मान्य की जा अतः गठित समिति की अनुशंसानुसार डॉ.गणेश कावड़िया, सेवा–निवृत्त आचा अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को विश्वविद्यालय डाटा विज्ञान एवं फोरकास्टिंग अध्ययनशा में संविदा आधार पर तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्ति प्रदान की जाती है एवं आवश्यक होने पर उनकी सेवाएं विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र अध्ययनशाला में भी ली जा सकती डॉ. कावड़िया का वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें अध्यादेश–4 (सी) तथा म.प्र. सिविल प पर संविदा नियुक्ति नियम 2017 म.प्र. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशि दिनांक 28.9.2017 के अनुसार रहेगी।

(कार्यवाहीः स्थापना विभा

विषय क्र.:19: **डॉ. जयंत सोनवलकर, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला क कार्य–मुक्त करने बाबत्।**

कुलाधिपति, राजभवन, भोपाल के आदेश क्र.ए 1–3/18/रा.स.1/16 दिनांक 3.10.2018 द्वारा डॉ.जयंत सोनवलकर, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंच अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को कार्य–ग्रहण करने की तिथि 04 वर्ष की कालावधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो, के लिए मध्यप्रदेश भो मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त किया गया है। उक्त परिप्रेक्ष्य डॉ.जयंत सोनवलकर को कार्य–मुक्त किया जाना है।

निर्णय लिया कि डॉ.जयंत सोनवलकर विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता एवं जनसंच अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर को दि. 4.10.2018 को कार्य–मुक्त किया जाए तथा दो वर्ष का धारणाधिकार प्रदान किया जाए ।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग

विषय क्रं.:20: **शोध कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में नवीन मद निर्मित कर प्रावधा करने बाबत्।**

दिनांक 28.9.2018 को सम्पन्न फोस्टरिंग एक्सीलेंस इन रिसर्च टास्क ग्रुप व बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न अध्ययनशालाओं एवं संस्थान में शोध कार्यों एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय हेतु राशि रू.3.00 करोड़ का वित्तीय व 2018–19 के बजट में प्रावधान किए जाने की अनुशंसा की है। टास्क फोर्स द्वार अनुशंसा की है कि गोल्डन जुबली फैलोशिप संस्थापित कर प्रत्येक संस्थान्/अध्ययनशाला के एक शोधार्थी को प्रति माह राशि रू.15000/– का भुगता किया जाए। अतः वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट में 'भाग– 4: निधि लेखा में शो कार्य एवं गोल्डन जुबली फैलोशिप एवं इससे संबंधित अन्य व्यय' हेतु राशि रू.3.0 करोड़ के नवीन मद को निर्मित कर प्रावधान किया जाना है।

निर्णय लिया कि शोध कार्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 के बजट उपरोक्तानुसार नवीन मद निर्मित कर रू.3.00 करोड़ का प्रावधान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी निर्णय लिया कि इसके नियमानुसार व्यय हेतु विनियमन बनाए जाक कार्य–परिषद् में प्रस्तुत किए जाएं।

(कार्यवाहीः बायोटेक्नालॉजी अध्ययनशाला)

विषय क्र.21: <u>माननीय कार्य–परिषद् सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव/प्रस्ताव पर विचार।</u>

1. डॉ. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के भवन/छात्रावास के नामकरण किए जाते समय मध्यप्रदेश के स्थानीय महापुरूषों के नाम पर प्राथमिकता से विचार किया जाए।
उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

2. डॉ. प्रकाश सी. बरतुनिया द्वारा सुझाव दिया गया कि निर्माण कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग की प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट (पी.आई.यू.) द्वारा यदि विलम्ब किया जाता है, तो विकल्प के रूप में म.प्र.हाउसिंग बोर्ड से सिविल कार्य करवाए जा सकते हैं।
उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

3. श्री आलोक डावर द्वारा सुझाव दिया गया कि तक्षशिला परिसर स्थित विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में रिक्त स्थान पर श्री अटल बिहारी बाजपेयी की मूर्ति स्थापित की जाए।
उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग एवं सांस्कृतिक केन्द्र)

4. श्री आलोक डावर द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्य–परिषद् के निर्णयों की समीक्षा बैठक की कार्य–सूची में अप्रैल 2018 के पश्चात् लिए गए कार्य–परिषद् के निर्णय सम्मिलित किए जाएं।
उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

5. डॉ. प्रकाश सी.बनतूनिया एवं प्रो. मोहनलाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्य–परिषद् की कार्य–सूची एवं कार्य–विवरण माननीय सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजे जाएं।
उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–
(अजय वर्मा)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव

हस्ता/–
(डॉ. एन.के. धाकड़)
कुलपति/ अध्यक्ष